रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242120
CG-DL-E-20012023-242120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सं. 53/2015–2020

विषयः औसत निर्यात दायित्व के रख–रखाव से एक कालिक छूट और विनिदिश्ट ईपीसीजी प्राधिकार हेतु निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के अध्याय 5 में संशोधन–के संबंध में।

फा. सं. 01/36/218/52/एएम–22/ईपीसीजी–पार्ट 1.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

1. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.13 (ग) के बाद निम्नलिखित उप पैरा को जोड़ा जाता है।

"5.13 (घ): वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए होटल, स्वास्थ सेवाएं एवं शैक्षिक क्षेत्रों हेतु जारी ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र के लिए कोई भी औसत निर्यात दायित्व बनाए रखना अपेक्षित नहीं है"

2. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.17 (च) के बाद निम्नलिखित उप पैरा को जोड़ा जाता है।

"5.17 (छ)

i) होटल, स्वास्थ सेवाएं और शैक्षिक क्षेत्रों के लिए जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए, निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.02.2020 और 31.03.2022 के भीतर आने वाली ईओ अवधि के दिनों की संख्या के बराबर अवधि के लिए समाप्ति की तारीख से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा विस्तार संयोजन शुल्क के भुगतान के बिना प्रदान किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना संख्या 67/2015–20 दिनांक 31.3.2020 और अधिसूचना संख्या

28/2015–20 दिनांक 23.9.2021 के संदर्भ में पहले से ही प्रदान किया गया निर्यात दायित्व विस्तार, यदि कोई हो, तो विस्तारित निर्यात दायित्व विस्तार अवधि से घटा दिया जाएगा।

ii) *ऐसे मामले में जहां ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक पहले ही संयोजन शुल्क के भुगतान पर निर्यात दायित्व विस्तार प्राप्त कर चुका है, तो संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा। इसके अलावा, पहले से भुगतान किए गए किसी भी जुर्माने, शुल्कों और करों को भी रिफंड नहीं किया जाएगा।*

"5.17 (ज):

i) होटल, स्वास्थ सेवाएं और शैक्षिक क्षेत्रों के अलावा जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए, निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2021 के भीतर आने वाली मौजुदा निर्यात दायित्व अवधि के दिनों की संख्या हेतु समाप्ति की तारीख से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा विस्तार संयोजन शुल्क के भुगतान के बिना प्रदान किया जाएगा। तथापि, यह विस्तार दिनांक 31.03.2022 को शेष निर्यात दायित्व के मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के संदर्भ में 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व के अधीन है।

ii) पैरा 5.17(ग) के तहत संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ निर्यात दायित्व विस्तार का लाभ उठाने का विकल्प पात्रता के अनुसार इन प्राधिकार पत्रों के लिए उपलब्ध रहेगा।

iii) ऐसे मामले में जहां ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक पहले ही संयोजन शुल्क के भुगतान पर निर्यात दायित्व विस्तार प्राप्त कर चुका है, तो संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा। इसके अलावा, पहले से भुगतान किए गए किसी भी जुर्मानें, शुल्कों और करों को भी रिफंड नहीं किया जाएगा।

5.17 (झ) : (ज) के तहत लाभ उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां सार्वजनिक सूचना संख्या 67 दिनांक 31.03.2020 और अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 23.09.2021 के अनुसार निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार प्राप्त किया गया है।

5.17 (ञ): पैरा (छ) और (ज) के तहत लाभ उस मामले में लागू नहीं होगा जहां निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.58 के अनुसार नीतिगत छूट के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने के लिए एक कालिक छूट और विनिर्दिष्ट ईपीसीजी प्राधिकार पत्र हेतु निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार का लाभ उठाने हेतु विकल्प कोविड–19 महामारी के कारण शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रदान किया गया है। यह एफटीपी/एचबीपी में पहले से प्रदान की गई निर्यात दायित्व विस्तार सुविधा (संयोजन शुल्क के भुगतान पर) के अतिरिक्त है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th January, 2023

No. 53/2015-2020

Subject: Amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures, 2015-20 - One time relaxation from maintenance of Average Export Obligation and extension in Export obligation period for specified EPCG Authorisations – reg.

F. No. 01/36/218/52/AM-22/EPCG-Part 1. —In exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (2015-20) :-

1. The following sub-para is added after para 5.13(c) of Handbook of Procedures :-

   "5.13(d): For the years 2020-21 and 2021-22, no Average Export Obligation is required to be maintained for EPCG authorizations issued for Hotel, Healthcare and Educational sectors"

2. The following sub-paras are added after para 5.17(f) of Handbook of Procedures :-

   "5.17 (g):

   i) For EPCG authorizations issued for Hotel, Healthcare and Educational sectors, Export Obligation (EO) period may be extended from the date of expiry for the duration equivalent to the number of days EO period falls within 01.02.2020 and 31.03.2022. Such extension shall be

granted without payment of composition fees. EO extension already granted if any in terms of Public Notice No. 67/2015-20 dated 31.3.2020 and Notification No. 28/2015-20 dated 23.9.2021 shall be deducted from the extendable EO extension period.

ii) In case where EPCG authorisation holder has already obtained EO extension on payment of composition fees, the refund of the composition fees will not be permitted. In addition, any penalties, duties and taxes already paid would also not be refunded.

5.17 (h) :

i) For EPCG authorisations, issued for **other than** *Hotel, Healthcare and Educational sectors, Export Obligation (EO) period may be extended from the date of expiry, for the number of days the existing EO period of an authorisation falls within 01.02.2020 and 31.07.2021. Such EO extension may be granted without payment of composition fees. However, this extension is subject to 5% additional export obligation in value terms (in free Foreign Exchange) on the balance Export obligation as on 31.03.2022.*

ii) The option to avail EO extension with payment of composition fees under the para 5.17(c) would remain available for these authorizations as per eligibility.

iii) In case where EPCG authorisation holder has already obtained EO extension on payment of composition fees, the refund of the composition fees will not be permitted. In addition, any penalties, duties and taxes already paid would also not be refunded.

5.17 (i) : The benefit under (h) shall not be applicable in cases where extension of Export Obligation period has been obtained in terms of Public Notice No. 67 dated 31.03.2020 and Notification No. 28 dated 23.09.2021.

5.17 (j) : The benefit under paras (g) and (h) shall not be applicable in case where extension of Export Obligation period has been obtained through policy relaxation in terms of the para 2.58 of Foreign Trade Policy.

Effect of this Public Notice : One-time relaxation from maintaining Average Export Obligation and option to avail extension in Export Obligation Period for specified EPCG authorizations is provided on account of COVID-19 pandemic, subject to fulfillment of conditions. This is in addition to EO extensions facility (upon payment of the composition fees) already provided in FTP/HBP.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.20 22:54:57 +05'30'